पंचायत निगरानी संख्या : 363/2024
उनवान : चैनसिंह बनाम ग्राम पंचायत नाड़ोल अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 363/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/359

प्रार्थी :-		अप्रार्थीगण :-
चैनसिंह पुत्र मनोहरसिंह निवासी किशनपुरा, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.	बनाम	ग्राम पंचायत नाड़ोल, जरिये ग्राम विकास अधिकारी नाड़ोल, पंचायत समिति देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत बखिलाफ आदेश क्रमांक/ग्रा.प./नाड़ोल/2023–24/461 दिनांक 08.02.2024 जिसके तहत आपत्ति इश्तिहार दिनांक 15.03.2024 जो दैनिक अखबार दैनिक नवज्योति के पृष्ठ संख्या 09 पर आमसूचना जारी की गई है को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :-
1. प्रार्थी संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र माथुर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

-:निर्णय:-

दिनांक: 31.07.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत बखिलाफ आदेश क्रमांक/ग्रा.प./नाड़ोल/2023–24/461 दिनांक 08.02.2024 जिसके तहत आपत्ति इश्तिहार दिनांक 15.03.2024 जो दैनिक अखबार दैनिक नवज्योति के पृष्ठ संख्या 09 पर आमसूचना जारी की गई है को निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि गांव नाड़ोल के खसरा नम्बर पुराने 1105 एवं नये 1811 पर प्रार्थी का पुराना कब्जा है, जो वर्ष 1985 –86 से लगातार चला आ रहा है। जिसका क्षेत्रफल एक बीघा पर चला आ रहा है। यह भूमि वर्ष 1993 में उपखण्ड अधिकारी महोदय बाली के आदेशांक /सस्था/ 151823 दिनांक 22.07.1993 एवं तहसीलदार देसूरी के आदेशांक/राजस्व/ 93/1786 दिनांक 31.07.1993 की अनुपालना में नामान्तरकरण स्वीकृत कर खसरा नम्बर 1811 रकबा 0.80 हैक्टर आबादी में दर्ज किया गया, शेष रकबा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 363/2024

उनवान : चैनसिंह बनाम ग्राम पंचायत नाड़ोल अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

बदस्तुर जमाबंदी 1811 मि रकबा 0.76 बारानी अव्वल दर्ज किया गया। प्रार्थी का कब्जा उक्त आबादी भूमि में होने से इस पर नट जाति के लोगो का झोपडी बनाकर निवास होने से प्रस्तावित जगह बसाने को कहा। परन्तु प्रस्तावित भूमि आबादी में दर्ज नहीं है जिससे उसे आबादी में दर्ज करने बाबत सरकार को लिखा जाने पर उक्त भूमि खसरा नम्बर 1811, रकबा 0.80 हैक्टर को आबादी में परिवर्तित किया गया तथा उन लोगो के साथ प्रार्थी को भी भू स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 30.03.2007 को जारी किया गया। जिस पर प्रार्थी का मकान आबादी क्षेत्र गोजारी मगरी इलेक्ट्रीक बोड़ के पास खसरा नम्बर 1811 में निम्न पड़ौस बीच विद्यमान पाये जाने पर दिया गया, पड़ौस निम्न है।

पूर्व में आम रास्ता व दरवाजा

पश्चिम में :– खालसा पड़त

उत्तर में:– खालसा पड़त

दक्षिण में:– आम रास्ता व दरवाजा।

इसका क्षेत्रफल लम्बाई 200 फीट चौडाई 150 फीट कुल क्षेत्रफल 30000 वर्गफीट है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

इस पर ग्राम पंचायत नाड़ोल के कुछ व्यक्ति जो क्रमशः गुलाबसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपुरोहित, शिवसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपुरोहित, दौलाराम पुत्र पुराजी मेघवाल, पुखराज पुत्र मानाराम जाति चौधरी निवासीगण नाड़ोल तहसील देसूरी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय पाली के समझ एक निगरानी प्रस्तुत कर भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की गई। इसमें ग्राम पंचायत भी पक्षकार थी, ग्राम पंचायत द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। परन्तु उक्त प्रार्थीगण ने सरासर मौके की स्थिति के विरुद्ध मिथ्या एव गलत तथ्य बताये तथा प्रार्थी का कब्जा खसरा नम्बर 1810 तालाब (नाड़ा) व 1811 गेर मुमकिन भूमि जो आबादी में दर्ज नहीं होना व ग्राम पंचायत को इसका प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं होना का मिथ्या कथन कर पेश की एवं जिसके नम्बर 32/2014 जिसका निर्णय दिनांक 12.06.2015 को पारित किया गया है। इसमें श्रीमान जिला कलक्टर साहब पाली द्वारा स्पष्ट लिखा गया है कि खसरा नम्बर 1811 पर प्रार्थी का कब्जा पाये जाने पर कब्जे की जांच कर कब्जा पाये जाने पर न्याय संगत आदेश पारित करे व खसरा नम्बर 1810 में कब्जा हो तो तुरन्त हटाने की कार्यवाही करे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी कोई पुख्ता कार्यवाही ही नहीं की गई है। प्रार्थी का कब्जा कभी खसरा नम्बर 1810 पर रहा ही नहीं है, कब्जा खसरा नम्बर 1811 पर है जो भी आबादी में दर्ज है। जिससे भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र सही जारी करना सावित है। परन्तु पंचायत द्वारा ऐसी कुछ भी कार्यवाही नहीं करने व अब पंचायत की सरपंच निगरानीकर्ता गुलाबसिंह पुत्र रावतसिंह निवासी नाड़ोल की पत्नी स्वयं है। जिससे पंचायत की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 363 / 2024
उनवान : चैनसिंह बनाम ग्राम पंचायत नाडोल अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

कार्यवाही वह स्वयं कर रहा है व अखबार दैनिक नवज्योति में दिनांक 15.03.2024 को आम सूचना का इश्तिहार भी छपवाया व सूचित किया है जिससे अब खसरा नम्बर 1811 की भूमि में प्लोट संख्या 1 से 12 तक निलामी करने का लिखा है व आपत्ति हो तो तीस दिन में पेश करने को भी लिखा है। प्रार्थी ने आपत्ति पेश की है, परन्तु प्रत्यर्थी ग्राम पंचायत येनकेन प्रकार प्रार्थी को न्याय व भूखण्ड से वंचित रखने पर अमादा है।

यह भी कि ग्राम पंचायत नाड़ोल को ऐसी भूमि को निलाम करने व प्रार्थी को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये बेदखल करने का अधिकार ही नहीं है। खसरा नम्बर 1811 को जलमग्न ऐरिया बताकर मिथ्या कथन कर श्रीमान जिला कलक्टर साहब पाली से अवैध आदेश प्राप्त किया गया है व अब उस आदेश के विरुद्ध ही जलमग्न भूमि को निलाम करने की योजना बनाकर रुपये अवैध रुप से ऐठने की भी हरकत की गई है। जो दोनों विरोधाभाषी होने से खसरा नम्बर 1811 की निलामी भूखण्ड संख्या 1 से 12 को अविलम्ब रोका जावे। मिथ्या कथन कर प्राप्त आदेश कानुनन नल एण्ड वॉइड है। यह प्रार्थीगण गुलाबसिंह वगैरा को न्यायालय के समक्ष कथन कर फ्रॉड कर अपराध भी कारित करना साबित है। जिससे ग्राम पंचायत नाड़ोल पंचायत समिति देसूरी जिला पाली द्वारा जारी आपत्ति इश्तिहार के तहत निलाम किये जाने वाले भूखण्ड संख्या 1 से 12 को अविलम्ब रोका जाकर निरस्त किया जावे।

यह भी कि, अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को वांछित नकले जानबूझकर विद्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए नहीं दी जा रही है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा कई मर्तबा आवेदन प्रस्तुत किये गये है। परन्तु नकले नहीं दी जाने से प्रार्थी न्याय से वंचित रह जावेगा। अप्रार्थी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर साहब पाली द्वारा दिये गए आदेश व निर्देश की पालना आज दिन तक नहीं की गई है जबकि प्रार्थी का कब्जा खसरा नम्बर 1811 की आबादी भूमि पर है। जिसका उसे भूमि स्वामित्व प्रमाण अप्रार्थी द्वारा दिया गया है। वर्तमान में सरपंच निगरानीकर्ता गुलाबसिंह की पत्नी स्वयं है एवं पंचायत की कार्यवाही सरपंच के पति होने से वह स्वयं प्रार्थी को न्याय से वंचित रखने के आशय से कर रहा है जो भी सम्बन्धित आदेश एवं कानुन के विरुद्ध है। जिससे भी अप्रार्थी को वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1811 आबादी भूमि जो नाड़ोल में स्थित है। जिसे स्वयं अप्रार्थी द्वारा मिथ्या कथन कर जलमग्न क्षेत्र व सार्वजनिक हित की भूमि बताकर आदेश प्राप्त किया गया है। उक्त आदेश के रहते अप्रार्थी को विवादित भूमि खसरा नम्बर 1811 को निलाम करने का कानूनन अधिकार ही प्राप्त नहीं है। गांव मे तो यहां तक भी चर्चा है कि भूमि पर किन किन व्यक्तियों को भूखण्ड दिये जाने है यानि अप्रार्थी गण अवैध रुप से निलाम की कार्यवाही भष्ट्राचार में लिप्त होकर करने की योजना भी बना ली है। जो भी अवैध व कानूनन विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी प्रस्तुत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 363/2024
उनवान : चैनसिंह बनाम ग्राम पंचायत नाड़ोल अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अप्रार्थी द्वारा जारी आपत्ति इश्तिहार के जरिये की जाने वाली भूखण्डो की निलामी भूखण्ड संख्या 1 से 12 को निरस्त किया जावे एवं जिला कलक्टर साहब पाली के निर्णय दिनांक 12.06.2015 के तहत कार्यवाही करने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेशचन्द्र माथुर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत नाड़ोल से प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 174/2023–24 तलब की जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर पाली द्वारा प्रकरण संख्या 32/2014 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 12.06.2015 में ग्राम पंचायत नाड़ोल को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि खसरा संख्या 1811 पर प्रार्थी के कब्जे बाबत् आवश्यक जाँच व सुनवाई के साक्ष्य दस्तावेज के बाद न्यायसंगत आदेश पारित करे। किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त न्यायिक निर्णय की पालना किये बगैर ही खसरा संख्या 1811 में भूखण्डों की निलामी प्रस्तावित कर दी गई, जिससे प्रार्थी के हक़ हकूक प्रभावित होंगे। यह भी, कि ग्राम पंचायत का कृत्य न्यायिक निर्णय की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अतः ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा पारित आलोच्य आदेश तथा आपत्ति इश्तिहार खारिज फरमावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

इसके प्रत्युतर में काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस ज़ाहिर किया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं की आबादी भूमि खसरा संख्या 1811 में भूखण्डों की निलामी की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, जिसका ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी द्वारा जिस स्वामित्व प्रमाण पत्र का याचिका में अंकन किया गया है, उक्त प्रमाण पत्र को न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा निर्णय दिनांक 12.06.2015 के द्वारा खारिज किया जा चुका है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा वक़्त बहस यह भी ज़ाहिर किया गया कि पूर्वोक्त निर्णय दिनांक 12.06.2015 की पालना मे प्रार्थी के कब्जे के सम्बन्ध में जाँच एवं साक्ष्य सुनवाई की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा प्रभाव में नहीं लाई गई। यह पूछे जाने पर कि क्या न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर पाली के उक्त निर्णय दिनांक 12.06.2015 के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा कोई अपील प्रस्तुत की गई अथवा नहीं, अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने इस सम्बन्ध में अनभिज्ञता ज़ाहिर की।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 174/2023–24 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 363/2024
उनवान : चैनसिंह बनाम ग्राम पंचायत नाड़ोल अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रार्थी द्वारा ग्राम नाड़ोल के खसरा संख्या 1811 पर अपने पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा इसी खसरे में प्रस्तावित निलामी कार्यवाही को चुनौति दी है। मिसल संख्या 174/2023–24 की आदेशिका में भी इसी खसरा संख्या 1811 में निलामी आयोजित करने का स्पष्ट अंकन किया गया है। अर्थात् यह निर्विवाद सत्य है कि ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा इसी खसरा भूमि में आलोच्य निलामी प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा आलोच्य निलामी कार्यक्रम को इस आधार पर भी चुनौति प्रस्तुत की गई है कि न्यायालय जिला कलक्टर पाली द्वारा प्रकरण संख्या 32/2014 बउनवान गुलाबसिंह व अन्य बनाम ग्राम पंचायत नाड़ोल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2015 की पालना किए बिना ही ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा आलोच्य निलामी कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया।

इस सम्बन्ध में पूर्वोक्त न्यायिक निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय जिला कलक्टर पाली द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 32/2014 में निर्णय दिनांक 12.06.2015 से प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में जारी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 30.03.2007 को निरस्त किया था, किन्तु प्रकरण ग्राम पंचायत नाड़ोल को प्रतिप्रेषित करते हुए यह निर्देश भी दिए थे कि खसरा संख्या 1811 की भूमि पर मौक़े व कब्जे बाबत् आवश्यक जाँच करें एवं जाँच उपरान्त अप्रार्थी (निगरानीकर्ता) का खसरा संख्या 1811 पर हक़ एवं पुराना कब्ज विधिक रुप से पाया जाता है तो पंचायत अधिनियम एवं नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जाँच कर बाद जाँच व सुनवाई के साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर न्यायसंगत आदेश पारित करें। अप्रार्थी का खसरा संख्या 1810 में कब्जा हो तो तुरन्त हटाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित

प्रार्थी निगरानीकर्ता का तर्क है कि ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा न्यायालय निर्णय में स्पष्ट निर्देश प्रदत्त किये जाने के उपरान्त भी खसरा संख्या 1811 में प्रार्थी के हक़ एवं कब्जे बाबत् कोई जांच सम्पादित नहीं की गई एवं इसी खसरे की भूमि में भूखण्डों की निलामी प्रस्तावित कर दी गई।

इस सम्बन्ध में प्रकरण से सम्बन्धित मूल मिसल संख्या 174/2023–24 के अवलोकन से ज़ाहिर होता है कि ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर पाली के प्रकरण संख्या 32/2014 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2015 की अनुपालना में ऐसी कोई जाँच की कार्यवाही प्रभाव में नहीं लाई गई। मूल मिसल संख्या 174/2023–24 में पूर्वोक्त निर्णय दिनांक 12.06.2015 की प्रति भी सलंग्न है, जिससे यह स्वयंसिद्ध है कि ग्राम पंचायत नाड़ोल को उक्त निर्णय तथा उसमें प्रदत्त निर्देशों की भली भांति जानकारी होने के उपरान्त भी

अति. जिला कलक्टर
पाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 363 / 2024
उनवान : चैनसिंह बनाम ग्राम पंचायत नाड़ोल अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

माफिक न्यायालय निर्णय खसरा संख्या 1811 में प्रार्थी के कब्जे इत्यादि के सम्बन्ध में उसके द्वारा जाँच की कार्यवाही प्रभाव में नहीं लायी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी सिद्ध नहीं होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली के उक्त निर्णय दिनांक 12.06.2015 के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत की गई हो। **अतः प्रार्थी का यह तर्क प्रमाणित पाया जाता है कि ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा न्यायिक निर्णय दिनांक 12.06.2015 की पालना में जाँच कार्यवाही सम्पादित किये बिना ही आलोच्य निलामी कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।**

यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन है कि ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा ज़रिए प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 20.12.2023 के खसरा संख्या 1811 में भूखण्ड संख्या एक से बारह तक का नक्शा अनुमोदन कर निलामी प्रस्तावित करते हुए एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज अनुसार समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 15.03.2024 को उक्त आपत्ति इश्तिहार क्रमांक 461 दिनांक 08.02.2024 प्रकाशित किया गया (यद्यपि ग्राम पंचायत के मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 174 / 2023–24 में उक्त आपत्ति इश्तिहार की कार्यालय प्रति तथा दैनिक समाचार पत्र की प्रति सलंग्न नहीं है)। **किन्तु ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा ज़ैर निगरानी आलोच्य निलामी प्रस्तावित करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 के प्रक्रियात्मक उपबन्धों की पालना नहीं की गई। ग्राम पंचायत नाड़ोल से यह अपेक्षित था कि दिनांक 20.12.2023 को निलामी बाबत् अन्तिम विनिश्चय करने से पूर्व पूर्वोक्त नियम 146 की अनुपालना में तीन पंचों का मनोनयन किया जाता तथा उक्त तीन पंचों की समिति द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निलामी बाबत् आपत्ति इश्तिहार आदि का निर्णय लिया जाता। किन्तु मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 174 / 2023–24 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा इस वैधानिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है।**

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा खसरा संख्या 1811 में प्रस्तावित ज़ैर निगरानी आलोच्य निलामी के सम्बन्ध में न केवल राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में विहित प्रक्रियात्मक उपबन्धों की अवहेलना की गई है, अपितु न्यायालय जिला कलक्टर पाली द्वारा प्रकरण संख्या 32 / 2014 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 12.06.2015 के निर्देशों की भी पालना नहीं की गई।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नाड़ोल द्वारा पारित संकल्प संख्या 04 दिनांक 20.12.2023 तथा इसके अनुक्रम में प्रस्तावित निलामी कार्यवाही अपास्त की जाती है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत नाड़ोल को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 363/2024
उनवान : चैनसिंह बनाम ग्राम पंचायत नाड़ोल अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय जिला कलक्टर पाली द्वारा प्रकरण संख्या 32/2014 बउनवान गुलाबसिंह व अन्य बनाम ग्राम पंचायत नाड़ोल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2015 की पालना सुनिश्चित करें तथा खसरा संख्या 1811 में भूमि कि किस्म, मौके की प्रस्थिति इत्यादि के सम्बन्ध में सम्यक् जाँच उपरान्त निष्पक्ष एवं खुली निलामी आयोजित करने हेतु नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत को पुनः लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner